न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र
ग्राम पंचायत निमेडा

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 12/2010

रज्जु दिनांकः 12/04/2010

निर्णय दिनांक : 11/05 /2017

1. दुर्गालाल पुत्र नानगा जाति माली निवासीः निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. कैलाश पुत्र नानगा जाति माली, निवासीः निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र नानगा
2. सीताराम पुत्र नानगा
3. लाडा देवी बेवा नानगा
4. गोपाल पुत्र सूज्या
5. बिरदा पुत्र सूज्या
6. नाथी बेवा सूज्या
7. रूपा पुत्र सरवण
8. छीतर पुत्र मोहन
9. नन्दा पुत्र मोहन
10. गलोल बेवा बाल्या
11. रामदयाल पुत्र बाल्या

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

समस्त जाति माली, निवासीः निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

12. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने एक वाद मान्य न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमे प्रार्थीगण/वादीगण को सफलता की पूर्ण आशा है। आराजी खतौनी संख्या 184 के खसरा नंबर 1907 रकबा 4 बिस्वा ग्राम निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जिसमे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का 3/4 हिस्सा और अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 का 1/12 हिस्सा और अप्रार्थी संख्या 7 का 1/16 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 8 व 9 का 1/16 हिस्सा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है एवं प्रार्थीगण अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं अपनी खातेदारी भूमि में मकान बनाकर निवास कर रहे है एवं अपने उपयोग–उपभोग में काम लेते आ रहे है। विवाग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 184 में प्रार्थीगण का एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा 3/4 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। आराजी खतौनी संख्या 63 के खसरा नंबर 1609, 1906, 1908, 3251/1608. के अप्रार्थी संख्या 10 व 11 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है। आराजी खसरा नंबर 1907 से अप्रार्थी संख्या 10 व 11 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है और न ही अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार है लेकिन अप्रार्थी संख्या 10 व 11 की आराजी प्रार्थीगण की जमीन के लगवा है इसी आड में अप्रार्थी संख्या 10 व 11 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन नाजायज निर्माण कर कब्जा करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी संख्या 10 व 11 को कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1907 रकबा 4 बिस्वा में मौके पर खाम मकान बनाकर अपने बुजुर्गो के समय से ही निवास कर अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है लेकिन अप्रार्थी संख्या 10 व 11 पडौसी होने के कारण अपनी आराजी की आड में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से रातोरात नीव खोदकर निर्माण करना चाहते है अगर अप्रार्थी संख्या 10 व 11 अपने नापाक

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

इरादो में सफल हो गये प्रार्थीगण को असहनीय क्षति होगी एवं व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढेगी इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1907 रकबा 4 बिस्वा में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे न ही दखलअंदाजी करे न अन्य से करावे। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में मकान बनाकर निवास कर रहे है एवं अपने कृषि के सामान इत्यादि रखकर अपने उपयोग–उपभोग में ले रहे है। अप्रार्थी संख्या 10 व 11 प्रार्थीगण से रंजिश रखते है इसी द्वेषता व ईष्या के कारण कल दिनांक 10.04.2010 को रात में नींव खोदकर निर्माण करने पर आमादा है अगर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की आराजी में अवैध निर्माण कर नाजायज कब्जा कर लेगे तो प्रार्थीगण के हितो का कुठाराघात होगा इसलिए प्रार्थीगण को विरूद्व अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। विवादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी भूमि से अगर प्रार्थीगण को जबरन रातो रात नीव खोदकर निर्माण कर बेदखल करने में अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादो में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढेगी अन्य खर्चे से जेरबार होना पडेगा इसलिए प्रार्थीगण की खातेदारी हितो की रक्षार्थ अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित होगा। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 उक्त आराजीयात में 3/4 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं अपने हिस्से की भूमि पर खाम–मकान बनाकर निवास करते आ रहे है एवं उपयोग–उपभोग में लेते आ रहे है। इसलिए प्रथमदृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन प्रबल है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से में निर्माण कार्य नहीं करे, न ही अन्य से करावे न ही किसी प्रकार से उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करे, न अन्य से करावे।

पत्रावली दिनांक 12.04.2010 को रिपोर्ट होकर न्यायालय में प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित पाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1907 रकबा 4 बिस्वा ग्राम निमेडा, तहसील फागी में स्थित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

यथास्थिति बनाये रखे। प्रतिवादीगण वादी की भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं करे। तलबी अप्रार्थीगण जारी करवाई गई।

दिनांक 25.02.2011 को वकील अप्रार्थी संख्या 10 व 11 ने जवाबदावा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 20.05.2011 को वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में अनापत्ति प्रकट करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 9 का नाम हजफ किया गया। दिनांक 25.08.2011 को वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, दावा पत्रावलीं इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि खसरा नंबर 1907 रकबा 4 बिस्वा ग्राम निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान में पक्षकारान का हक हिस्सा निहित है।

चूंकि प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जाना होता है। इस कारण न्यायालय के दृष्टिकोण में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 एवं अप्रार्थी संख्या 10 व 11 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 एवं अप्रार्थी संख्या 10 व 11 को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खसरा नंबर 1907 रकबा 4 बिस्वा ग्राम निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर राजस्थान के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11/05/2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट निमेडा में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)